


98

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर



रीवा म०प्र०

पत्र 201

239
18-7-14

A 2558-II/14

राजमणि गौतम तनय राधिका प्रसाद गौतम आयु 75 वर्ष
निवासी डांडीटोला प्रतापपुर तहसील बिरसिहपुर जिला सतना
म०प्र० गुमारा मुकुल प्रसाद राव सतना प्रसाद गौतम अपीलार्थी

बनाम

गोकरण प्रसाद तनय ददी राम ब्राम्हण आयु 65 वर्ष निवासी
प्रतापपुर तहसील बिरसिहपुर जिला सतना म०प्र०.....रेस्पा०

श्री. सतना प्रसाद गौतम मुकुल प्रसाद
द्वारा आज दिनांक 16-7-14 के
प्रस्तुत किया गया।

सिडर
सर्किट कोर्ट रीवा

अपील विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त रीवा
संम्भाग रीवा के अपील प्र०क०- 555
/अपील/10-11 मे पारित आदेश दिनांक
22/01/13

क्रमांक 2390

जिस्टिस पोस्ट द्वारा आज
दिनांक 25-7-14 को प्राप्त

मान्यवर,

अपील अन्तर्गत धारा 44 म०प्र०भू०रा०सं०

गवर्नर ऑफ़ राजस्व मण्डल ग्वालियर

अपीलार्थी निम्नलिखित अपील प्रस्तुत कर विनयी है:-

प्रकरण के तथ्य

1- यह कि प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने
विचारण न्यायालय तहसीलदार बिरसिहपुर जिला सतना के
समक्ष आराजी नं०-91/1 रकवा 0.76ए० यानी 0.308हे०
वाका मौजा झाला तहसील बिरसिहपुर जिला सतना के संबंध मे
नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया और जाहिर किया कि
विवादित आराजी के खातेदार अनावेदक/रेस्पा० है जिन्होने
अपने वैधानिक आवश्यकता की पूर्ति के लिये उक्त आराजी को
आवेदक/अपीलार्थी के पक्ष मे दिनांक 18/03/78 को मुबलिंग

M


Handwritten signature

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक A-2558-2014

जिला-सबल

पक्षकार का नाम राजमोक्ष गोत्र / गोदागुहाफ

(1)	(2)	(3)
28.12.17	<p>प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2-आवेदक तथा आवेदक अधिवक्ता की पुकार कराई गई किन्तु कोई उपस्थित नहीं। अतः संहिता की धारा 35 (2) के तहत प्रकरण आदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p>3- आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	